न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, सुपौल।

जदिया थाना काण्ड संख्या–201/2025

	जमानत आवेदन संख्या–414/2026 विकास कुमार, उम्र–22 वर्ष, पिता–रूपेश यादव, साकिन–चकला डहरिया, वार्ड नं0–1 थाना–छातापुर, जिला–सुपौल.....आवेदक अभियुक्त। बनाम् बिहार सरकार.....विपक्षी। **साथ में।** **जमानत आवेदन संख्या–422/2026** दयानन्द कुमार मेहता उर्फ दया कुमार, उम्र–25 वर्ष, पिता–सत्यदेव मेहता, साकिन–पथराहा, वार्ड नं0–3, थाना–घुरना, जिला–अररिया.....आवेदक अभियुक्त। बनाम् बिहार सरकार.....विपक्षी। **साथ में।** **जमानत आवेदन संख्या–460/2026** शंकर कुमार, पिता–मकेश कुमार यादव, साकिन–नवदीही, थाना–जदिया, जिला–सुपौल.....आवेदक अभियुक्त। बनाम् बिहार सरकार.....विपक्षी।	
23.07.2026	नियमित जमानत आवेदन संख्या–414/2026, नियमित जमानत आवेदन संख्या–422/2026 एवं नियमित जमानत आवेदन संख्या–460/2026 के काराधीन आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः **विकास कुमार, दयानन्द कुमार मेहता उर्फ दया कुमार एवं शंकर कुमार** की ओर से दाखिल किया गया है, जिसमें आवेदक अभियुक्तगण दिनांक 09.05.2026, दिनांक 29.04.2026 एवं दिनांक 30.09.2026 से कारा में संसीमित हैं। चूंकि तीनों नियमित जमानत आवेदन विद्वान न्यायिक दण्डाधिकारी–प्रथम श्रेणी, श्रीमति स्वाति चतुर्वेदी, सुपौल के न्यायालय में लंबित जदिया थाना काण्ड संख्या–201/2025 अन्तर्गत धारा–**309(6) B.N.S** से संबंधित है। अतः तीनों नियमित जमानत आवेदन पर सुनवाई एवं निष्पादन इस आदेश से किया जाता है। नियमित जमानत आवेदन संख्या–414/2026 के विद्वान अधिवक्ता श्री नागेन्द्र नारायण ठाकुर, नियमित जमानत आवेदन संख्या–422/2026 के विद्वान अधिवक्ता श्री विनोद कांत झा एवं नियमित जमानत आवेदन संख्या–460/2026 के विद्वान अधिवक्ता श्री ब्रजेश कुमार सिंह तथा विद्वान अपर लोक अभियोजक श्री राजीव रंजन को सुना। अभियोजन कथानक संक्षिप्त में यह है कि, सूचक लोकेश कुमार भास्कर दिनांक 20.09.2025 को समय करीब 6:30 बजे शाम में अपने गंतव्य स्थान मिलन चौक से घर की ओर जा रहे थे।	

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, सुपौल।

जदिया थाना काण्ड संख्या–201/2025

लगातार 23.07.2026	समय करीब 6:45 बजे कोरियापट्टी पहुंचकर कुछ काम किये, उसके बाद वह अपने घर के तरफ चल दिये समय करीब 7:05 बजे मानगंज पूरब वार्ड–02, सतीश मेहता के घर के पास पहुंचे तो पीछे से ब्लू ब्लैक रंग का एक मोटरसाईकिल पल्सर 220 सी0सी0 पर सवार तीन अपराधी आये और उनको पीछे से ही सर पर मारकर एक बैग छीन लिये, जिसमें एक लैपटॉप Redmibook Pro Core i5 FSN 11th Gen-(8GB/51GB) जिसका IMEI No.-6934177778056, MORPHO, 30 हजार रुपया, आधार कार्ड ग्राहक का फोटो एवं एक रजिस्टर था, जिसको लेकर भागने लगा, उसके बाद वह अपने मोटरसाईकिल से उसका लतराही चौक तक पीछा किये तो देखे कि उक्त मोटरसाईकिल का रजिस्ट्रेशन नं0–BR50AC-5342 लगा हुआ था, उसके बाद उक्त अपराधी उनके उपर हथियार तान दिया और बोला कि साला तुम मेरा पीछा किया तो तुमको गोली से जान मार देंगे। उसके बाद वह डर गये और वहीं रूक गये, उसके बाद उक्त अपराधी लतराही चौक होते हुये गुड़िया के तरफ भाग गये। तीनों अपराधी का उम्र करीब 20 से 25 वर्ष का होगा। घटना के बाद इसकी सूचना वह अपने परिजन को दिया और परिजन के साथ आकर थाना पर लिखित सूचना दिये। आवेदक अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता का अभिकथन है कि वे लोग बिल्कुल निर्दोष हैं तथा उन लोगों के द्वारा कोई अपराध नहीं किया गया है। आवेदक अभियुक्तगण विकास कुमार एवं दयानंद कुमार मेहता उर्फ दया कुमार की ओर से इस जमानत आवेदन से पूर्व कोई दूसरा जमानत आवेदन पत्र न तो श्रीमान् के न्यायालय में और न ही माननीय उच्च न्यायालय, पटना में दाखिल किया गया है। आवेदक अभियुक्त शंकर कुमार का जमानत आवेदन संख्या–792/2025 एवं कि0मिस0 संख्या–2969/2026 दायर किया गया था जिसे इस न्यायालय द्वारा एवं माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा खारिज किया गया है। उसके बाद आवेदक अभियुक्त द्वारा न तो इस न्यायालय और न ही माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष कोई जमानत आवेदन दायर की गई है। आवेदक अभियुक्त विकास कुमार एवं दयानंद कुमार मेहता उर्फ दया कुमार के विरूद्ध पूर्व से कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक अभियुक्त शंकर कुमार के विरूद्ध पूर्व से जदिया थाना कांड सं0–12/2025 दर्ज है, जिसमें जमानत पर है। आवेदक अभियुक्तगण प्राथमिकी के नामजद अभियुक्त नहीं है और उनके कब्जे से कोई आपत्तिजनक वस्तु बरामद नहीं हुई एवं न ही टी0आई0पी0 करायी गई है। सह–आरोपी या अन्य व्यक्तियों के कब्जे से चोरी की गई वस्तुओं की बरामदगी पुलिस द्वारा मनगढंत बतायी गई है। सह–आरोपी नितिश कुमार के कब्जे से कुछ चोरी की गई वस्तुएं बरामद की गई है। चूंकि प्रस्तुत कांड 309(6) भारतीय न्याय संहिता के दायरे में नहीं आती है। चूंकि सूचक पर पीछे से प्रहार किए जाने का कोई प्रमाण पुलिस या किसी चिकित्सक द्वारा नहीं पाया गया है, इस आधार पर कथित कहानी संदेहास्पद प्रतीत होता है। आवेदक अभियुक्तगण दिनांक 09.05.2026, दिनांक 29.04.2026 एवं दिनांक 30.09.2026 से कारा में संसीमित हैं तथा वे न्यायालय द्वारा संतुष्टिपरक बंध–पत्र दाखिल करने में सक्षम है। अतः अनुरोध है कि आवेदक अभियुक्तगण को उचित जमानत पर मुक्त करने का आदेश दिया जाय।	लगातार

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, सुपौल।

जदिया थाना काण्ड संख्या–201/2025

लगातार 23.07.2026	विद्वान अपर लोक अभियोजक तीनों नियमित जमानत आवेदन का विरोध करते हुये निवेदित किये हैं कि आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा सूचक लोकेश कुमार भास्कर के सर पर पीछे से मारकर एक बैग जिसमें एक लैपटॉप, 30 हजार रुपया, आधार कार्ड एवं एक रजिस्टर छीनने का आरोप है। साथ ही विद्वान अभियोजनक के द्वारा यह भी कथन किया गया कि आवेदक अभियुक्त शंकर कुमार के विरुद्ध पूर्व से एक आपराधिक इतिहास जदिया थाना काण्ड संख्या–12/2025 दर्ज है, जो लूट से ही संबंधित है। अतः उनकी ओर से दाखिल तीनों नियमित जमानत आवेदन खारिज करने योग्य है। तीनों नियमित जमानत आवेदन पर उभय पक्षों को बारी–बारी से सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। प्राथमिकी के अनुसार आवेदक अभियुक्तगण के द्वारा सूचक लोकेश कुमार भास्कर के सर पर पीछे से मारकर एक बैग जिसमें एक लैपटॉप, 30 हजार रुपया, आधार कार्ड एवं एक रजिस्टर छीनने का आरोप है। काण्ड दैनिकी की कंडिका–2 में वादी का पुनःबयान है, इन्होंने अपने बयान में बताये हैं कि जब मैं अपना मोटरसाईकिल से आवेदक अभियुक्तगण को लतराही चौक तक पीछा किया तो आवेदकगण इनके उपर हथियार तान दिया और बोला की साला हमलोगों को पीछा करता है तुमको गोली से जान मार देंगे, जिससे वादी डर गये और वहीं रूक गये। कंडिका–11 में जप्तीसूची का उल्लेख है। कंडिका–20 एवं 21 में स्वतंत्र गवाह सागर यादव और रौशन कुमार का बयान है, इन्होंने प्राथमिकी घटना का समर्थन किये हैं। कंडिका–47 एवं 66 में सह–अभियुक्तों का स्वीकारोक्ति बयान है जिसमें आवेदक अभियुक्तगण की संलिप्तता स्पष्ट रूप से उजागर हुई है। कंडिका–89 में वादी लोकेश कुमार भास्कर का जख्म जांच प्रतिवेदन का उल्लेख है, जिसमें चिकित्सक के द्वारा जख्म की प्रकृति कठोर एवं कुंद पदार्थ से कारित होना बतलाया गया है तथा जख्म माथा के पीछले भाग पर है। कंडिका–121 के अनुसार आवेदक अभियुक्त शंकर कुमार के विरूद्ध एक मामला दर्ज है, जो लूट से संबंधित है। कंडिका–211 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि आवेदक अभियुक्त शंकर कुमार के विरूद्ध आरोप–पत्र संख्या–235/2025 अंतर्गत धारा–309(6) भारतीय न्याय संहिता के तहत न्यायालय में समर्पित किया गया है। अभिलेख अवलोकन से यह भी ज्ञात होता है कि आवेदक अभियुक्त शंकर कुमार जमानत आवेदन संख्या–792/2025 इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन पदाधिकारी द्वारा एवं क्रि0मिस0 संख्या–2969/2026 माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा खारिज किया जा चुका है। चूंकि प्राथमिकी में आवेदक अभियुक्तगण के विरूद्ध लगाये गये आरोप गंभीर प्रकृति का है तथा अन्य अभियुक्तगण विकास कुमार एवं दयानंद कुमार मेहता उर्फ दया कुमार का वाद अभी अनुसंधान्तर्गत है। उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों तथा अपराध की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आवेदक अभियुक्तगण क्रमशः **विकास कुमार, दयानन्द कुमार मेहता उर्फ दया कुमार एवं शंकर कुमार** को नियमित जमानत पर मुक्त करना न्यायोचित एवं न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। फलस्वरूप नियमित जमानत आवेदन संख्या–414/2026, नियमित जमानत आवेदन संख्या–422/2026 एवं नियमित जमानत आवेदन संख्या–460/2026 **अस्वीकृत** किया जाता है। तद्नुसार तीनों नियमित जमानत	

न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम्, सुपौल।

जदिया थाना काण्ड संख्या–201/2025

लगातार 23.07.2026	आवेदन निस्तारित किया जाता है। लेखापित S/d **(कुमार कौशल किशोर)** अपर सत्र न्यायाधीश–चतुर्थ प्रभारी न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश–पंचम् सुपौल।	